छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा | अष्टम् सत्र | अंक-3

नवा रायपुर अटल नगर, बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2026

(फाल्गुन 6, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 06, 07 (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या-05 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य सुश्री लता उसेंडी अनुपस्थित रहीं।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 81 तारांकित एवं 89 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-

(i)112/सीएसईआरसी/2025, दिनांक 22 अगस्त, 2025 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता (पांचवा संशोधन), 2025 तथा

(ii)113/सी.एस.ई.आर.सी./2025, दिनांक 20 नवम्बर, 2025 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025,

(2) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का तेरहवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024,

(3) श्री केदार कश्यप, परिवहन मंत्री ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उप धारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक रूल-5/107/2025-ट्रान्सपोर्ट, दिनांक 2 जनवरी, 2026,

(4) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार :-

(i) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 (01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024) तथा

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2024-25,

(5) श्री श्याम बिहारी जायसवाल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2024-25 (दिनांक 01 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025 तक), तथा

(6) गुरू खुशवंत साहेब, अनुसूचित जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अट्ठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025),

पटल पर रखे।

3. नवम्बर-दिसम्बर, 2025 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

मानीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार नवम्बर-दिसंबर, 2025 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

4. नियम 267 "क" के अधीन नवम्बर-दिसंबर, 2025 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267 "क" के अधीन नवम्बर-दिसंबर, 2025 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

5. माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सचिव, विधान सभा द्वारा षष्ठम् विधान सभा के नवम्बर-दिसंबर, 2025 सत्र में पारित कुल 4 विधेयकों में से 3 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयक के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

6. पृच्छा

श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती चातुरी नंद, सर्वश्री दलेश्वर साहू, ब्यास कश्यप, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, रामकुमार यादव, उमेश पटेल, सदस्यों ने विविध विषयों पर आसंदी का ध्यानाकर्षित किया।

7. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। आज भोजन की व्यवस्था श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

8. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक सदस्य ने प्रदेश में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री, (गृह) ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए)

(2) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

9. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267- क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री सुनील कुमार सोनी
2. श्री रोहित साहू
3. श्री उमेश पटेल
4. श्री विनायक गोयल
5. श्रीमती अंबिका मरकाम

10. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 70, नवागढ़ से निर्वाचित सदस्य श्री दयालदास बघेल द्वारा फरवरी-मार्च, 2026 सत्र में दिनांक 23 फरवरी, 2026 से दिनांक 27 फरवरी, 2026 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की सूचना दी गई है एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 01, भरतपुर-सोनहट से निर्वाचित सदस्य श्रीमती रेणुका सिंह सरूता

द्वारा फरवरी-मार्च, 2026 सत्र में बैठकों में अनुपस्थित रहने की सूचना देते हुए अनुपस्थिति की अनुज्ञा चाही गई है ।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिका सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

1. श्रीमती भावना बोहरा
2. श्री रोहित साहू

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

12. माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के संबंध में श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

13. बहिर्गमन

श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने अधिकारी दीर्घा में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारियों की अनुपस्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सदन से बहिर्गमन किया।

14. माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए :-

बुधवार, 25 फरवरी, 2026

सर्वश्री भूपेश बघेल, कवासी लखमा, उमेश पटेल, लखेश्वर बघेल, भोलाराम साहू, दलेश्वर साहू, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री विक्रम मण्डावी, इन्द्रशाह मण्डावी, संदीप साहू, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, श्री जनकराम ध्रुव, श्रीमती विद्‌यावती सिदार।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव व संशोधनों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री उमेश पटेल

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

श्रीमती भावना बोहरा, श्री कवासी लखमा,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

श्रीमती गोमती साय, श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री नीलकण्ठ टेकाम।

(सभापति महोदय ने कार्य सूची के पदक्रम 9 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्री विष्णुदेव साय, मख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(सायं 5.35 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 26 फरवरी, 2026 (फाल्गुन 7, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा